कॉर्पोरेट शासन प्रणाली

1.1 आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड ने डीपीई द्वारा कारपोरेट शासन प्रणाली के मार्गदर्शकों को ईमानदारी से पालन करती है तथा सभी स्टेडक होल्डएर के अधिकार को श्रेष्ठ ता देती है । पारदर्शिता, व्यातवसायिकता तथा उत्तएरदायित्वक मान्यपताओं द्वारा कंपनी का नीति प्रतिबिम्बित होती है । अपने वित्तीरय एवं निष्पाकदन के साथ शासन प्रणाली के संबंध में समय पर सही सूचना देना, कंपनी अपना निहित दायित्वप समझती है ।

1.2 आईआरईएल ने कारपोरेट शासन पर डीपीई के मार्गदर्शन के अनुसार अपने बोर्ड का श्रेणी एवं संयोजन बनाए रखी है ।

1.3 आईआरईएल का बोर्ड, सभी सांविधिक समितियों जैसे लेखा परीक्षा समिति, पारिश्रमिक समिति एवं सीएसआर समिति के साथ संघटित/संस्थांपित किया गया ।

1.4 बोर्ड तथा उसके संविधि समितियों का बैठक डीपीई मार्गदर्शन एवं संविधि के अनुसार बुलाया, आयोजित एवं संचालित किया जाएगा ।

2.0 बोर्ड द्वारा नियुक्तज संविधि समितियों के संदर्भ की शर्तें

2.1 लेखा-परीक्षा समिति की मुख्यत शर्तें

(i) बोर्ड को प्रस्तुपत करने से पहले तिमाही/वार्षिक वित्तीअय विवरण की समीक्षा

(ii) आंतरिक लेखा-परीक्षा, सांविधिक लेखा-परीक्षा एवं सरकारी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा

(iii) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं उसकी उपयुक्तिता पर सांविधिक लेखा-परीक्षकों एवं आंतरिक लेखा-परीक्षकों, प्रबन्धणन के साथ समीक्षा ।

(iv) वित्तीतय विवरण तैयार करने के लिए लागू लेखा-विधि मानक एवं अन्यक सांविधिक आवश्यतकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करना ।

(v) अर्थपूर्ण लेखा-विधि नीतियॉ एवं परिवर्तन यदि कुछ है तो समीक्षा करना ।

(vi) लेखा-परीक्षा योग्यिताएं यदि कुछ है तो समीक्षा ।

(vii) लागत लेखा परीक्षकों की नियुक्ति सिफारिश ।

(viii) सांविधिक लेखा-परीक्षकों एवं लागत लेखा परीक्षकों के लेखा-परीक्षा शुल्कव को नियत करने के लिए बोर्ड को सिफारिश करना ।

(ix) कर लेखा-परीक्षकों के पारिश्रमिक को नियतन एवं नियुक्तक करना ।

(x) सांविधिक रुप से निषेधित न होने पर अन्य् सेवाओं के लिए सांविधिक लेखा-परीक्षकों को भुगतान अनुमोदित करना ।

(xi) लागत लेखा-परीक्षा रिपोर्ट एवं कर लेखा-परीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा ।

(xii) अर्थ-पूर्ण निष्क र्ष तथा उसपर अनुवर्ती, आदि कुछ है तो आंतरिक लेखा-परीक्षकों के साथ चर्चा करना ।

2.2 ''नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति'' के शर्तों का संदर्भ में वार्षिक बोनस/परिवर्तनीय वेतन पूल पर निर्णय लेना, संबंधित नीति के अनुसार अधिकारियों एवं असंघटित पर्यवेक्षकों को उसके वितरण के लिए कुछ है तो निर्धारित सीमाओं के अंदर तथा एसे मामालों में बोर्ड समय समय पर पारिश्रमिक समिति को जांच एवं अनुमोदन के लिए भेजना है ।

2.3 ''सीएसआर समिति'' की भूमिका

(i) बोर्ड को कंपनी द्वारा लिये जानेवाले कार्यकलापों के साथ सीएसआर नीति को सूत्रबद्ध एवं सिफारिश करना ।

(ii) बोर्ड को नीति में निर्धारित कार्यकलापों के लिए समय समय पर होनेवाली खर्च की राशि को सिफारिश करना ।

(iii) सीएसआर नीति को मानीटर करना ।